

साक्षात्कार कार्यक्रम

श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक के 06 (छ) पदों पर नियुक्त हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–  
01/2018 के साक्षात्कार कार्यक्रम एवं निदेश :-

दिनांक	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
	(समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	(समय 02:30 बजे अपराह्न से)
30.03.2022 (बुधवार)	उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/अनुक्रमांक— 201801000049, 201801000091, 201801000116, 201801000165, 201801000252, 201801000396, 201801000542, 201801000617	उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/अनुक्रमांक— 201801000641, 201801000652, 201801000743, 201801000774, 201801000884, 201801000927, 201801001087, 201801001109
31.03.2022 (गुरुवार)	201801001164, 201801001269, 201801001286, 201801001322, 201801001526, 201801001547, 201801001574, 201801001827	201801001841, 201801001883, 201801001968, 201801002007, 201801002092, 201801002099

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाइट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र—I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं रजिस्ट्रेशन संख्या का विवरण प्रपत्र-II उपलब्ध हैं जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपीली योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्राप्तिं छायाप्रति भी लाना अनिवार्य होगा—
  - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
  - (ii) इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
  - (iii) बी.ई./बी.टेक. का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
  - (iv) एम.ई./एम.टेक. का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
  - (v) ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर निर्णत बी.ई./बी.टेक./स्नातक एवं एम.ई./एम.टेक./स्नातकोत्तर के अंक पत्र/ प्रमाण पत्र की स्थिति में ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सम्बन्धित संस्था/ विश्वविद्यालय से निर्णत मूल प्रमाण पत्र।
  - (vi) अनुमत प्रमाण पत्र।  
**(नोट:-**—अनुमत प्रमाण—पत्र निजी संस्थान के मामले में दखलकार द्वारा निर्णत होना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र/केन्द्र सरकार के संस्थान के संबंध में वैसे व्यक्ति जो सरकार से पत्राचार के लिए प्राधिकृत किए गए हों, उनके स्तर से निर्णत होना चाहिए।)
  - (vii) पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्णत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अर्थात् अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख हो।
  4. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा—मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी दो छायाप्रति पूर्ति: औपबंधिक हैं। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अस्थिरता/अहंता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अस्थिरता/अहंता पर यथास्थिति एवं यथासम्बद्ध आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
  5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अस्थिरता पूर्ति: औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अस्थिरता/अहंता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अस्थिरता/अहंता पर यथास्थिति एवं यथासम्बद्ध आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
  6. साक्षात्कार हेतु आमत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पैन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
  7. कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के द्वारा जारी आदेश के आलोक में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोविड टीकाकरण (Vaccination) प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों।
  8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।
  9. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्णत जाति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अर्थात् अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जाति का उल्लेख हो।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्णत निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अर्थात् अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त निवास प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता का उल्लेख हो।

(x) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णत तस्वीरी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन करना अनिवार्य होगा।  
**नोट:-** अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मात्र नहीं होगा।

(xi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा — मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

(xii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

11.3.22